

## \*प्रेस विज्ञप्ति\*

### **\*कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज-दिनांक- जनवरी 18,2021\***

**\*यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-\*** जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 168 वाहनों का चालान, 11 वाहनों से कुल 8900/-रूपया शमन शुल्क वसूल किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया व 02 वाहन को सीज किया गया।

**\*शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 23 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**\*पैदल गश्त अभियान-\*** श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए धारा 290 भा0द0वि0 मे 00 व धारा 110 जी0 जा0फौ0 मे 00 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

**\*आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्तगण 1.केदार यादव पुत्र श्रीपत नि0 चेरही थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-34/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

2.बैजनाथ पुत्र श्रीराम प्रसाद नि0 शास्त्री नगर थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 18 ली0 कच्ची बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-36/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

**\*थाना चौक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्तगण विजुल पुत्र झगन नि0 कटहरिया कला थाना चौक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-07/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

**\*पशु क्रूरता अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना बरगदवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्तगण1. अख्तर अहमद पुत्र सोहराब अली नि0 पिपरा थाना बरगदवा 2. गुफ्तार बहादुर पुत्र हरि बहादुर नि0 दुबास थाना हटिया जनपद पर्वत नेपाल 3. सिताब पुत्र होसिद नि0 विलासपुर थाना नवलपरासी जनपद नेपाल के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 13/21 धारा-11 पशु क्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

4. रिजवान पुत्र असगर नि0 पिपरा टोला अशोगवा थाना बरगदवा जनपद महाराजगंज के द्वारा 02 अदद बकरे को मारते – पीटते हुए ले जाना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 14/21 धारा-11 पशु क्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

**\*कस्टम अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त अज्ञात के कब्जे से पीकप वाहन पर लदा 60 बोरी मक्का बरामद कर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0- nil/21 धारा- 11 कस्टम अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

**\*विवेचनाओं का निस्तारण-\*** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-13 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

**\*जनपद में 17/18-01-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल- 28 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।\***